संख्याः–210 / XXVII (1) / 2012

प्रेषक,

आर.सी.अग्रवाल,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तराखण्ड।
(संलग्नानुसार)

वित्त अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांकः 05 अप्रैल,2012

विषयः–13वॉ वित्त आयोग की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2011–12 में गैर निष्पादक राज्यों के सामान्य निष्पादन अनुदान की रोकी गई धनराशि के सापेक्ष अन्तरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गैर निष्पादक राज्यों की सामान्य निष्पादन अनुदान के अर्न्तगत रोकी गई धनराशि के वितरण हेतु 13वॉ वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदानों के विमुक्ति एवं उपयोग हेतु निर्गत भारत सरकार के दिशा निर्देश जो उनके पत्रांक एफ.12(2) एफ.सी.डी./2010 दिनांक 23.09.2010 में इंगित शर्त संख्या 7.1 एवं 7.2 के अनुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में भारत सरकार के पत्रांक सं0 एफ.12(3)एफ.सी.डी./2010 दिनांक 31 मार्च, 2012 के क्रम में क्षेत्र पंचायतों हेतु **₹10307000.00 (₹एक करोड़ तीन लाख सात हजार हजार मात्र)** को संलग्नानुसार को निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय आवंटन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

2– अन्तरित की जा रही धनराशि वेतन एवं भत्तों आदि पर व्यय नही की जा सकेगी।

3–13वॉ वित्त आयोग द्वारा संस्तुति की गई है कि अन्तरित धनराशि से निम्न कार्य कराये जा सकते हैंः–

(1) पथ प्रकाश (2) पेयजल योजनाओं का अनुरक्षण (3) स्वच्छता (4) पेयजल (5) परिसम्पत्तियों का निर्माण (6) स्वजल धारा कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित जलापूर्ति परिसम्पत्तियों को अपने हाथ में लेकर उनका अनुरक्षण किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त परिसम्पत्तियों के निर्माण आदि कार्य किये जाने चाहिए।

4–कोषागार से अन्तरित की जा रही धनराशि आहरित करने हेतु बिल जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा तैयार किये जायेंगे तथा जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

5–जिला पंचायत राज अधिकारी प्रत्येक स्थिति में एक सप्ताह के अन्दर सम्बंधित क्षेत्र पंचायतों को धनराशि चैक/ड्राफ्ट के माध्यम से प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

6–अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सम्बंधित जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर कराकर जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से महालेखाकार, उत्तरराखण्ड, देहरादून प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड को उपलब्ध करायेंगे। समय से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त न होने पर भारत सरकार द्वारा अगली किश्त की

18/4/2012

धनराशि अवमुक्त नहीं की जायेगी। यदि उपयोगिता प्रमाण–पत्र के विलम्ब के कारण कोई धनराशि लैप्स होती है तो उसके लिये **जिला पंचायत राज अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।**

7–अन्तरित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर ही अगली किश्त अवमुक्त की जायेगी।

8–अन्तरित धनराशि का उपयोग केवल उसी कार्य हेतु किया जायेगा जिस कार्य के लिए धनराशि आवंटित की गई है। इसमें किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

9–अन्तरित धनराशि के समुचित उपयोग के लिए विभागीय अधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो उत्तरदायी होंगे।

10–अन्तरित की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के लेखानुदान की अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 3604–स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेत्तर–02–पंचायती राज संस्थायें–197–विकास खण्ड स्तरीय पंचायत–01–केन्द्रीय आयोज़नागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0104–13वॉ वित्त आयोग द्वारा संस्तुत निष्पादन अनुदान–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(आर.सी.अग्रवाल)
अपर सचिव, वित्त।

संख्या 210 /(XXVII (1)/2012, तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमाँऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक,पंचायतीराज, उत्तराखण्ड–देहरादून।
6. निदेशक भारत सरकार, वित्त मंत्रालय व्यय विभाग, वित्त आयोग प्रभाग,ब्लाक 11, पंचम तल सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स नई दिल्ली।
7. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(आर.सी.अग्रवाल)
अपर सचिव, वित्त।

शासनादेश संख्याः 210 /XXVII (1)/2012
दिनांकः 05 :अप्रैल,2012 का संलग्नक।

13वॉ वित्त आयोग द्वारा संस्तुत समस्त क्षेत्र पंचायतों को वर्ष 2011–12 हेतु देय सामान्य निष्पादन अनुदान की रोकी गई किश्त की धनराशि का

(धनराशि हजार ₹ में)

जिला	क्षेत्र पंचायत का नाम	वर्ष 2011–12 हेतु देय सामान्य निष्पादन अनुदान की धनराशि
1	2	3
अल्मोड़ा (11)	भैसियाछाना (1)	35
	भिक्यासैण (2)	53
	चौखुटिया (3)	63
	धौलादेवी (4)	128
	द्वाराहाट (5)	78
	हवलबाग (6)	72
	लमगड़ा (7)	86
	सल्ट (8)	110
	स्याल्दे (9)	88
	ताकुला (10)	48
	ताडीखेत (11)	120
	योगः–	**881**
बागेश्वर (3)	बागेश्वर (1)	130
	गरूड़ (2)	61
	कपकोट (3)	121
	योगः–	**312**
चमोली (9)	दशोली (1)	74
	देवाल (2)	58
	गैरसैण (3)	115
	घाट (4)	54
	जोशीमठ (5)	160
	कर्णप्रयाग (6)	99
	नारायणबगड़ (7)	55
	पोखरी (8)	65
	थराली (9)	53
	योगः–	**733**

(धनराशि हजार ₹ में)

जिला	क्षेत्र पंचायत का नाम	वर्ष 2011–12 हेतु देय सामान्य निष्पादन अनुदान की धनराशि
1	2	3
चम्पावत (4)	बाराकोट (1)	33
	चम्पावत (2)	132
	लोहाघाट (3)	43
	पाटी (4)	57
	योगः–	**265**
देहरादून (6)	चकराता (1)	108
	डोईवाला (2)	145
	कालसी (3)	112
	रायपुर (4)	148
	सहसपुर (5)	185
	विकासनगर (6)	147
	योगः–	**845**
हरिद्वार (6)	बहादराबाद (1)	407
	भगवानपुर (2)	215
	खानपुर (3)	67
	लक्सर (4)	130
	नारसन (5)	182
	रुड़की (6)	158
	योगः–	**1159**
नैनीताल (8)	बेतालघाट (1)	65
	भीमताल (2)	52
	धारी (3)	33
	हल्द्वानी (4)	161
	कोटाबाग (5)	52
	ओखलकाण्डा (6)	85
	रामगढ़ (7)	56
	रामनगर (8)	83
	योगः–	**587**
पौड़ी (13)	बीरोंखाल (1)	161
	दुगड्डा (2)	318
	द्वारीखाल (3)	195

(धनराशि हजार ₹ में)

जिला	क्षेत्र पंचायत का नाम	वर्ष 2011–12 हेतु देय सामान्य निष्पादन अनुदान की धनराशि
1	2	3
	एकेश्वर (4)	97
	कल्जीखाल (5)	125
	खिर्सू (6)	66
	कोट (7)	91
	लैंसडाऊन (8)	126
	नैनीडांडा (9)	159
	पाबो (10)	129
	पौड़ी (11)	80
	पोखड़ा (12)	66
	रिखणीखाल (13)	119
	थलीसैण (14)	218
	यमकेश्वर (15)	197
	योगः–	**2147**
पिथौरागढ़ (8)	बेरीनाग (1)	102
	धारचूला (2)	148
	डीडीहाट (3)	41
	गंगोलीहाट (4)	122
	कनालीछीना (5)	57
	मुनाकोट (6)	60
	मुनस्यारी (7)	168
	पिथौरागढ़ (8)	59
	योगः–	**757**
रुद्रप्रयाग (3)	अगस्तमुनि (1)	160
	जखोली (2)	80
	ऊखीमठ (3)	84
	योगः–	**324**
टिहरी गढ़वाल (9)	भीलंगना (1)	274
	चम्बा (2)	74
	देवप्रयाग (3)	88
	जाखणीधार (4)	59
	जौनपुर (5)	120

(धनराशि हजार ₹ में)

जिला	क्षेत्र पंचायत का नाम	वर्ष 2011–12 हेतु देय सामान्य निष्पादन अनुदान की धनराशि
1	2	3
	कीर्तिनगर (6)	55
	नरेन्द्रनगर (7)	66
	प्रतापनगर (8)	64
	थौलधार (9)	60
	योगः–	**860**
ऊधमसिंह नगर (7)	बाजपुर (1)	92
	गदरपुर (2)	76
	जसपुर (3)	86
	काशीपुर (4)	66
	खटीमा (5)	224
	रूद्रपुर (6)	92
	सितारगंज (7)	235
	योगः–	**871**
उत्तरकाशी (8)	भटवाडी (1)	106
	चिन्यालीसौड (2)	64
	डुण्डा (3)	74
	मोरी (4)	87
	नौगॉव (5)	199
	पुरोला (6)	36
	योगः–	**566**
	महायोगः–	**10307**

(₹एक करोड़ तीन लाख सात हजार मात्र)

(आर.सी. अग्रवाल)
अपर सचिव, वित्त।